



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

### \*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अगस्त 07, 2022\*

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 118 वाहनो का चालान किया गया ।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 31 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अनिल निषाद पुत्र बुधिराम नि0 पुरन्दरपुर टोला सोमनजोत थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्त रवि यादव पुत्र हरि प्रसाद नि0 कोटई माता गांव पालिका वार्ड नं0 03 थाना मझगांवा जिला रुपन देही राष्ट्र नेपाल के कब्जे से 02 बोरी यूरिया, 08 पैकिट जैविक खाद व 02 साइकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 111 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

**\*थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त हरिओम पुत्र रामआसरे नि0 राजमंदिर थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 06 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** थाना परसामलिक पुलिस द्वारा 17 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

**\*आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही -\***

**\*थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त अफरोज पुत्र मैनुद्दीन अली नि0 बसहिया थाना श्यामदेउरवां के कब्जे से 01 अदद कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/22 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम में व अभियुक्त भोला पुत्र रूदल गौड़ नि0 कोटवा थाना कसानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में व अभियुक्त दिग्विजय चौहान पुत्र रमेश चौहान नि0 कोटवा थाना कसानगंज के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना घुघली पर मु0अ0सं0 193/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*जनपद में 06/07.08.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 35 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***